संख्या-598/2022/5455/001-41-2022-91-YO-2015

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

विषय:-ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर, शिल्पग्राम में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अवस्थापना विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-217/83-अव0-16-116(अव0)/12, दिनांक 29.03.2016 द्वारा जनपद आगरा में ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर की स्थापना हेतु अवस्थापना विकास कोष से धनराशि रू0 05.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़ मात्र) ऋण के रूप में अवमुक्त किया गया था।

2- ज्ञातव्य है कि अवस्थापना विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-280/83-अव0-2016-18(अव0)/16, दिनांक 11.05.2016, पत्र संख्या-280/83-अव0-2016-20(अव0)/16, दिनांक 06.06.2016, पत्र संख्या-374/83-अव0-16-20(अव0)/16, दिनांक 21.06.2016, पत्र संख्या-584/83-अव0-2016-111(अवस्थापना)/12 टी0सी0, दिनांक 22.11.2016, पत्र संख्या-150/83-अव0-17-116(अव0)/12, दिनांक 24.04.2017 एवं पत्र संख्या-211/83-अव0-17-116(अव0)/12, दिनांक 16.06.2017 द्वारा उ0 प्र0 अवस्थापना कोष से ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर हेतु ऋण के रूप में दी गयी धनराशि रु0 05.00 करोड़ को उत्तर प्रदेश अवस्थापना विकास कोष-2014 में यथा शीघ्र वापस कराने का अनुरोध किया गया।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि रू0 05.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़ मात्र) को अवस्थापना विकास कोष-2014 में वापस किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

4. उपर्युक्तानुसार धनराशि का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ में स्थित अवस्थापना विकास कोष-2014 के खाता संख्या-**33807753748** (IFSC कोड-SBIN0006893) में किया जायेगा।

5. उपर्युक्तानुसार धनराशि का भुगतान आनलाइन/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रु0 पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 34528080014 पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-598/2022/5455/001-41-2022-91-YO-2015, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं अध्यक्ष, अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग उ0प्र0 शासन।
9- उ0प्र0 अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति के समस्त सदस्य।
10- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
12- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, लखनऊ।
उ0प्र0 स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग।
13- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, गोमती नगर, लखनऊ।
14- संयुक्त निदेशक, पर्यटन,आगरा ।
15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in